तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/6/21	पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 29/6/21 को प्रस्तुत हो।
29/6	पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/7 को प्रस्तुत हो।
7.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। नोट प्राप्त हो चुकी पत्रावली में वकील प्रार्थी की एक प्रार्थना [illegible] हुई अतः पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15/7/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
15/7/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा 251-ए रा.का.अधि. को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास राजकेश मीना आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :– 213/2020

श्री शंकरलाल पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल विकृतचित जरिये वाद मित्र कुशालराम पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

र्थीगण :–

. श्री प्रभुराम पुत्र पूराराम जाति मेघवाल निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर
. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर

कील पक्षकारान
. प्रार्थी वकील :– श्री मूलसिहं राठौड
. अप्रार्थीगण वकील :– –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट

आदेश

दिनांक 15.07.2021

प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ स्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया इस प्रकरण का जिसका संक्षिप्त सार इस ार से है ।

प्रार्थी विकृतचित है उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है प्रार्थी विकृतचित होने से आवेदन रने में सक्षक नहीं होने से प्रार्थी का पुत्र कुशालराम वाद मित्र की हैसियत से आवेदन प्रस्तुत कर ा है प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्र वादमित्र के हित एक है प्रार्थी एवं वाद मित्र के हितों में कोई रोधाभास नहीं है।

ग्राम खींवसर के खसरा नबंर 262/2023 रकबा 17.12 बीघा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा ाश्त का स्थित है नकल साथ है । प्रार्थी के खेत के पश्चिमी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नबंर 261 रकबा 04.16.13 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत की मौके पर दक्षिणी सींव अप्रार्थी के खेत की उतरी सींव से करीब 50–60 फुट दक्षिणी तरफ स्थित है प्रार्थी के इस खेत का कदीमी ास्ता खसरा नबंर 261 की उतरी सींव से होकर आगे कटाणी रास्ते तक चलता आ रहा है।

कि उक्त वर्षो से चलते आ रहे रास्ते को अप्रार्थी संख्या 01 ने अभी आल ही में बन्द कर दिया। हमें अपने खेत में आने जाने के लिए सबसे सरल एवं सुगम व निकटतम रास्ता यही है एवं प्रार्थी को इस रास्ते रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है प्रार्थीगण के इस रास्ते के उक्त विवाद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत इस प्रश्नगत रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज करवाने का श्रम करावें।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नबंर 262/2023 रकबा 17.12 बीघा में आने हेतु खसरा नबंर 261 रकबा 0416.13 बीघा की उतरी सींव से मार्क ए से बी अनुसार 20 फुट में रास्ते के रूप में रास्ता घोषित फरमावें। एवं राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने देश फरमावें। तथा इस रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं, हो पाबन्द फरमावें।

प्रार्थी का उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ दर्ज दजिस्टर किया जाकर ीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया गया । अप्रार्थी के नोटिस बाद न प्राप्त मगर नियत पेशी पर अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में गई है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार खींवसर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार खींवसर ने में पत्रांक/कमांक/भू.अ./251 अ/2021/245 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट त कर निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा खसरा नबंर 261 में से मार्क अ से बी अनुसार रास्ता /2023 में जाने हेतु चाहा गया है जो नक्षे अनुसार सरल नहीं है। चाहे गए मार्क अ बी ार, नक्शे अनुसार 262/2023 में प्रवेश संभव नहीं है अ बी का रकबा 0.0619 हैक्टेयर बनता प्रश्नगत रास्ता चालू नहीं है प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। प्रार्थी को प्रश्नगत की नितांत आवश्यकता है। आज आवागमन नहीं होता है। प्रश्नगत रास्ते की भूमि असिचिंत है

तथा प्रश्नगत रास्ता की आराजी प्रतिबंधित नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त श्यकता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य स्थायी व अस्थायी रास्ता नहीं है। प्रश्नगत ा से प्रभावित होने वाला रकबा 0.0619 बनता है मौका देखने पर मार्क अ बी रास्ता नक्शे सार खसरा 262/2023 के स्थान पर खसरा 262 में खुलता है प्रार्थी के पास रास्ता का विकल्प है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे अनुसार सुसंगत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस समायत की गई। अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो बिन्दूओं को देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

दौराने बहस प्रार्थी ने दावा किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते उसके द्वारा चाहा गया रास्ता की, हमें आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली में प्रस्तुत स्तावेजात एवं तहसीलदार खींवसर से प्राप्त रिपोर्ट से भी यह ताईद होता है । की प्रार्थी को इस स्ते की निन्तांत आवश्यकता है।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने क्षेताय तक पहुॅचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार खींवसर से प्राप्त ौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है । और प्रश्नगत रास्ता ही एक मात्र रास्ता है।

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रार्थी के अनुसार वास्तविक स्थिति नजरी नक्शा में/राजस्व रेकर्ड से भिन्न है प्रार्थी के अनुसार मौका रिपोर्ट में वर्णित खसरा नबंर 262/2023 की दक्षिणी सींव 261 की उतरी सींव से दक्षिण की तरफ है। एवं 261 से रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहुॅचता है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

जिससे यह सुस्पष्ट होता है की प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य पक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नहीं है तथा इस रास्ते की ही न आवश्यकता है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी का गहनता पूर्वक अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट रूप से ताईद होता है की प्रश्नगत रास्ता लावा अन्य सरकारी भूमि से रास्ता नहीं निकलता है । अतः ,खसरा नबंर 261 में से मांग किए बिन्दुओं से रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

अतः प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नबंर 262/2023 रकबा 2 बीघा में आने जाने हेतु खसरा नबंर 261 रकबा 0416.13 बीघा की उतरी सींव से मार्क ए से 5 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है। जिसका प्रभावित रकबा की डीएलसी दर की चार राशि प्रभावित रकबा अनुसार खेत खसरा नबंर ख.न. 261 में से रकबा 0.0619 हैक्टेयर ...../– की कुल प्रतिकर प्रार्थी से प्राप्त कर उपरोक्त अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 भुगतान करें, अन्यथा उक्त राजकोष में जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित अनुसार राजस्व नक्शे में ोम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है।

इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। उक्त रास्ते किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

:– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय को स्थगन आदेष नहीं हो तो आदेष की पालना नियमुनसार करे।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

यह आदेष आज दिनांक 15.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर